प्रेस विज्ञप्ति

126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निमार्ण हेतु जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रेल विकास निगम लि0 के द्वारा ग्राम नगरासू में 0.609 है0 तथा ग्राम नरकोटा मे 0.094 है0 अतिरिक्त भूमि का अर्जन किया रहा है। जिसका भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग–03 से गजट दिनांक 17 अगस्त, 2021 को जारी होने के उपरान्त लोक प्रयोजनार्थ दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद धारा–21 के नोटिस सम्बन्धित खातेदारो को जारी किये गये हैं, जिसके क्रम में कतिपय काश्तकारो के द्वारा अपनी आक्षेप/दावे प्रस्तुत किये गये हैं। जिनके निस्तारण हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ग्राम नगरासू के प्रभाविलों के आक्षेप/दावों की सुनवाई दिनांक 22.04.2022 को समय 11:00 बजे एवं ग्राम नरकोटा के प्रभावितों के आक्षेप/दावों की सुनवाई दिनांक 23–04–2022 को समय 11:00 बजे जिला कार्यालय के सभागार में की जायेगी। तदनुसार सूचित होंवे।

ह0/–
(मनुज गोयल),
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या–[illegible]/आठ–7 (2018–19) दिनांक, रुद्रप्रयाग, अप्रैल, [illegible] 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को निर्धारित तिथि व समय पर बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।

1– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग, वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
2– मुख्य परियोजना प्रबन्धक रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश।
3– उप जिलाधिकाकरी रुद्रप्रयाग।
4– अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, रुद्रप्रयाग।
6– अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, रुद्रप्रयाग।
7– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रप्रयाग।
8– अधिशासी अभियन्ता, जिला उद्यान विभाग, रुद्रप्रयाग।
9– तहसीलदार रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति तहसील कार्यालय व सम्बन्धित ग्रामों के सूचनापट्ट पर चस्पा करते हुए, निर्धारित तिथि व समय पर सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षकों के साथ अभिलेखों सहित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
10– खण्ड विकास आधिकार, अगस्त्यमुनि को निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
11– जिला सूचना विज्ञान, अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को राज्य सरकार की वेबसाइट uk.nic.in पर अपलोड करना चाहें।
12– सम्पादक अमर उजाला/दैनिक जागरण, रुद्रप्रयाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते हुए समाचार पत्रों की 2–2 प्रतियां के साथ बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।